कुलसचिव
Registrar

(3121)

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता / 01 / 498 / 2010,   दिनांक : 17 अगस्त, 2010

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक,
समस्त महाविद्यालय (बी0एड0 पाठ्यक्रम)
सम्बद्व म0गॉ0 काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

महोदय,

कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश में बी0एड0 पाठ्यक्रम की आनलाइन काउन्सिलिंग का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। उक्त के क्रम में बी0एड0 हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क छात्रों द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आवंटित छात्रों से किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त फीस न ली जाए। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश लखनऊ विश्वविद्यालय एवं म0गॉ0 काशी विद्यापीठ की बेवसाइट पर अपलोड है।

उ0प्र0 शासन द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा छात्रों को यह कहकर वापस किया जा रहा है कि अभी महाविद्यालय में फीस जमा करें। बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा फीस प्राप्त होने पर वापस कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त फीस की मांग भी की जा रही है। छात्रों द्वारा इस सन्दर्भ में लगातार लिखित शिकायत की जा रही है। शासन के प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र सं0–1756 / सत्तर–2–2010, दिनांक 11 अगस्त, 2010 तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.08.2010 की प्रति संलग्न करते हुए समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराकर जिन छात्रों को बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवंटन–पत्र निर्गत हुआ है, उनका प्रवेश अपने–अपने महाविद्यालय में सुनिश्चित करें।

जिन छात्रों का आवंटन हो चुका है, उनके अतिरिक्त अन्य किसी छात्र का प्रवेश लिया जाना अविधिपूर्ण है। महाविद्यालय के विरूद्व किसी तरह की शिकायत प्राप्त होने पर शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही करने की बाध्यता होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बद्व महाविद्यालय की होगी। कृपया 05 सितम्बर, 2010 तक महाविद्यालय में काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रविष्ट छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्न– यथोक्त।

(आई0पी0 झा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ–

1. मा0 कुलपति जी सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी–वाराणसी, चन्दौली, संतरविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, बलिया।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. प्रभारी–कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से प्रेषित कि इस सूचना को बेवसाइट पर अपलोड करें।

17.08.10

(आई0.पी0 झा)
कुलसचिव

संलग्न - 1

FROM :CPMT 2008 FAX NO. :0522 2741812 Aug. 12 2010 05:02PM P1

(1619)

4683
12/8/10

फैक्स के माध्यम

संख्या: 1756 / सत्तर-2-20

प्रेषक,

श्री राजू शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उ.प्र.शासन।

Registrar
C 12.8.10

स.कु.स.(सं.)
13.08.10

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त कुलपति/कुल सचिव
राज्य विश्वविद्यालय,उ.प्र.।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

दिनांक लखनऊ अगस्त 11, 2010

महोदय,

जैसा कि आप अवगत ही हैं कि संयुक्त बी.एड. परीक्षा -2010 लख विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित की गयी है। काउन्सिलिंग के समय छात्र-छात्राओ वित्त अधिकारी,लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से रु. 5000/- एवं रु. 500/- के ड्रा जमा कराये जाते हैं और तीसरे दिन आवंटित महाविद्यालय की फीस का ड्राफ्ट भी वि अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से पूर्व जमा धनराशि रु. 5000/- को कम जमा कराया जाता है। तदोपरान्त छात्र-छात्रा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने जाते

2. शासन की जानकारी में यह तथ्य लाया गया है कि संबंधित महाविद्यालय छात्र-छात्राओं को यह कह कर वापस किया जा रहा है कि अभी महाविद्यालय में फीस करें, जब लखनऊ विश्वविद्यालय से उनके द्वारा जमा फीस महाविद्यालय को प्राप्त हो तब उनको वापस कर दी जायेगी। पुनः महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शु की भी मांग छात्र-छात्राओं से की जा रही है। इस संबंध में आप यह सुनिश्चित करें सभी छात्र/छात्राओं को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु पुनः फीस जमा न कर जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि महाविद्यालयों द्वारा पूर्व में जमा करायी शुल्क के अतिरिक्त कोई धनराशि न ली जाये।

3. कृपया अपने जनपद में टीम बनाकर सभी बी.एड. विद्यालयों की जांच करा लें यह सुनिश्चित करें कि उक्त निर्गत शासनादेश के अनुसार बिना किसी विघ्न के छात्र/छात्र को प्रवेश दिलाया जा रहा है, जो विद्यालय ऐसा करने में दोषी पाये जाये, उनके वि कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(राजू शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृ.सं. 1756 (1)/सत्तर-1-2010 तद्दिनांक

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजू शर्मा)
प्रमुख सचिव

संलग्न-2

कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ—226007

सन्दर्भ संख्या :........................../बी0एड0/201

दिनांक : 11.8.2010

C 12-8-10

प्रेस विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं उससे सहयुक्त/सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0—2010 की काउन्सिलिंग उ0प्र0 के विभिन्न केंद्रों पर चल रही है। उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 1276/सत्तर—2—2010—17(70)/ 2005 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2010 के परिप्रेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि काउन्सिलिंग के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की फीस सम्बंधित काउन्सिलिंग केंद्र पर जमा की जायेगी। तत्पश्चात सम्बंधित महाविद्यालयों को काउन्सिलिंग के उपरान्त कुल चयनित अभ्यर्थियों की कुल फीस वापस कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई शुल्क सम्बंधित महाविद्यालय द्वारा नहीं लिया जाएगा। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाता है तो वह अपने नोटिस बोर्ड पर आदेश की प्रति चस्पा करे जिससे प्रवेशित बी0एड0 अभ्यर्थियों को असुविधा न हो। साथ ही शासनादेश संख्या 2030/26—3—2009—4(358)/2007, दिनांक 23 सितम्बर 2009 के प्रस्तर—2 उल्लिखित है कि "समस्त शिक्षण संस्थान पात्र अनुसचित जाति/जनजाति/ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं का निःशुल्क प्रवेश लेंगे तथा सामान्य जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं से शासकीय दरें जो निर्धारित होंगी उस धनराशि को घटाते हुए शेष शुल्क लेंगे।" तत्क्रम में निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 2097/पि0व0क0/2008, दिनांक 15 नवम्बर 2008 के अनुसार राजकीय दर बी0एड0 हेतु 1588/— है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के प्रवेशार्थियों को सम्बन्धित महाविद्यालय की फीस का अन्तर महाविद्यालय में जमा करना होगा।

महाविद्यालयों द्वारा समस्त छात्रों को प्रवेश देकर जैसे ही सूची लखनऊ विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तत्काल उस महाविद्यालय की काउन्सिलिंग के दौरान जमा करायी गयी प्रवेश शुल्क की राशि महाविद्यालय को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कर दिया जायेगा।

कुलसचिव/नोडल आफिसर
संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0
2010, ल0वि0वि0